2015-498

Office of the Inspector General of Registration & Superintendent of Stamps C.G. Raipur

In front of State Election Commidion, Old Mantralaya Road, Raipur (C.G), Phone:- 0771-244274, 244270, Fax: 244289, e-mail- igreg.cg@nic.in

No./ 47 /IGR/Tec.3/152 /2014 **Raipur, Dated 15/01/2015**

To,

Chairman
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400001

BSE LTD.
Received on
Date: 19 JAN 2015
RCD

Mr. G. Tejpal, Mumbai
Reg. 27/1/15

Sub :- Remittance of stamp duty to state exchequer collection on transactions pertaining to clearance list.

Ref. :- Chhattisgarh government gazette Notification No. 2863/D. 53/21-A/form./CG/2014, Dated 26-03-2014.

The government of Chhattisgarh has made provisions for chargeability of stamp duty on transactions relating to government securities and marketable securities vide notification No. 2863/D.53/21-A/form./CG/2014, date 26-03-2014, Chhattisgarh Act (No. 9 of 2014) **THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2014.** Copy of the said notification is enclosed here with for the ready reference Article -20 A of Stamp Schedule IA - reads thus-

"20-A Clearance List :-

(a)	If relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be, subject to a maximum of rupees one thousand.
(b)	If relating to the transactions for the purchase or sale of share scrip, debenture, stock or other marketable security of like nature in or of an incorporated company or other corporate body, submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part therof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price, or the contract price as the case may be."

Consequent to these amendments the revenue collection on account of stamp duty chargeable on such transactions taking place in the state of Chhattisgarh should be remitted to our state. It has been observed that though such transactions are being conducted by clients based in Chhattisgarh no revenue is being remitted to our state. Hence, kindly instruct the brokers, sub brokers, authorised persons registered with you to remit the stamp duty on the above mentioned transactions through challan and inform the District Registrar of respective districts with requisite details. Challans should be remitted to government transacting branches of State Bank of India under the following head -

0030	Stamp & Registration fee
02	Non Judicial Stamp
102	sale of stamps

Kindly make arrangements to provide us with details of monthly transaction turnover broker, sub broker or athorised person wise and stamp duty collected respectively.

(Dr. M. Geetha *IAS*)
Inspector General of Registration
Chhattisgarh, Raipur

No./ /IGR/F-3/152 /2014 **Raipur, Dated / 01/2015**

Copy to-

1- District Registrar -------------------------- for information.
2- All brokers/Sub brokers and Authorised persons for nessesary action.

Sd
Inspector General of Registration
Chhattisgarh, Raipur

400

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 मार्च 2014 — चैत्र 5, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक 2863/डी. 53/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

401

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2014)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2 और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चा अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क में, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :-

(1) अनुच्छेद 15 के कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम या मूल्य प्रतिशत." प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) अनुच्छेद 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"20क. समाशोधन सूची -

(क)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है ;	: अधिकतम एक हजार रुपये के अ रहते हुए ऐसी सूची की प्रत्येक के संबंध में यथास्थिति, मिलान या संविदा कीमत पर संगणित प्रति के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रु उसके भाग के लिये एक रुपया.
(ख)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर स्क्रिप, डिबेन्चर स्टॉक या इसी प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है.	: ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के यथास्थिति, मिलान कीमत या कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उस के लिये एक रुपया."

(3) अनुच्छेद 33 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"33. दान की लिखत, जो परिनिर्धारण (क्रमांक 58) या वसीयत या अंतरण (क्रमांक 62) न हो ;

(क)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य न हो,	: वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(ख)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य हो.	: संपत्ति जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के आधा प्रतिशत की दर से.

स्पष्टीकरण :- इस प्रयोजन हेतु दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

(4) अनुच्छेद 45 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"45. विभाजन की लिखत [धारा 2 (15) में यथा परिभाषित];

(क)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित हो या गैर कृषि प्रयोजन हेतु तात्पर्यित हो ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए दो हजार रुपए.
(ख)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति कृषि भूमि है ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए एक सौ रुपए.
	परंतु यह कि जहां विभाजित की जाने वाली भूमि के विषय में किसी न्यायालय में न तो कोई विवाद न ही कोई मामला लंबित है :	: कोई शुल्क देय नहीं.
	परंतु यह और कि भूमि, जिसका विभाजन किया जा रहा है, सीलिंग के प्रावधानों के भीतर नहीं है ;	
(ग)	जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतिम आदेश या विभाजन करने का	: दस रुपये."

निर्देश देने वाला किसी मध्यस्थ द्वारा दिया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है.

(5). अनुच्छेद 48 के खण्ड (च-एक) और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(च-एक) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्यांक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(क) इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए;	: एक हजार रुपए.
(ख). इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो;	: वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के ब मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23 लगता है.
(ग) जबकि वह निष्पादन कर्ता के रिश्ते में पिता, माता, पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, को दिया गया हो और जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो.	: एक हजार रुपए."

(6) अनुच्छेद 55 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्र किया जाए, अर्थात् :-

"55. निर्मुक्ति-अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 23-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर होने वाले दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के विरुद्ध दावे का परित्याग करता है;

(क)	जब वे परिवार के सदस्य न हो;	वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के बंधपत्र (क्रमांक-15) पर लगता है.
(ख)	जब वे परिवार के सदस्य हो.	: वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का आधा प्रतिशत.

स्पष्टीकरण :- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक 2863/डी. 53/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सुषमा सावंत, अतिरिक्त

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2014)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp Act, 1899 (Chhattisgarh Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, shall be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule 1-A of the Principal Act, the following amendment shall be made, namely :-

(1) For the corresponding entries in column (2) of Article 15, the words "Two percent of the amount or value secured." shall be substituted.

(2) After Article 20, the following Article shall be inserted, namely :-

"20-A. Clearance List :-

(a)	If relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be, subject to a maximum of rupees one thousand.
(b)	If relating to the transactions for the purchase or sale of share scrip, debenture, stock or other marketable security of like nature in or of an incorporated company or other corporate body, submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be."

(3) For Article 33 and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"33. Gift, Instrument of, not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62) :-

(a)	When the donee is not a family member of the donor ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the market value of the property which is the subject matter of gift ;
(b)	When the donee is a family member of the donor ;	At the rate of half percent of the market value of the property which is the subject matter of the gift.

Explanation :- For this purpose, family in relation to the donor shall mean the donor's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren."

(4) For Article 45, and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"45. Partition Instrument of [as defined in clause (15) of Section 2]

(a)	Where the property involved in the partition is converted for non agricultural purpose or is meant for non agricultural use ;	Rupees two thousand for each shareholder.
(b)	Where the property involved in the partition is agricultural land :	Rupees One hundred for each shareholder.
	Provided that where there is neither any dispute nor any case pending in any Court regarding the land to be partitioned :	No duty chargeable
	Provided further that the land being partitioned is not within the provisions of ceiling ;	
(c)	Where a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator	Rupees ten."

directing a partition, is stamped with the stamps required for an instrument of partition and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed.

(5) For clause (f-1) of Article 48 and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"48. (f-1) when given without consideration and authorising the agent to sell, gift, exchange or permanently alienate any immovable property situated in the State of Chhattisgarh.

(a)	For a period not exceeding two years from the date of its execution ;	Rupees one thousand.
(b)	For a period exceeding two years from the date of its execution or when it is irrevocable or when it does not purport to be for any definite term ;	The same duty as Conveyance (No. 23) on the market value of such property.
(c)	When given to father, mother, wife or husband, son, daughter, brother or sister in relation to the executants authorising such person and when it does not purport to be for any definite term.	Rupees one thousand."

(6) For Article 55, and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"55. Release, that is to say, any instrument (not being such release as is provided by Section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property ;

(a)	When they are not members of family;	The same duty as Bond (No. 15) for the amount of consideration or market value of the property, whichever is higher, on the share over which the claim is relinquished.
(b)	When they are members of family;	Half percent of the consideration or the market value of the property, whichever is higher, on the share over which the claim is relinquished.

Explanation :- For the purpose of clause (b), family in relation to the person shall mean the person's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.